

16/12/16

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता पी0एस0 गुर्जर उप0।

प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत है।

अभियुक्त ने निवेदन किया कि वह स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहता है।

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय हैं। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 113/194 (1) मोटरयान अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो, अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य सरकार  
मुख्य मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
लेह जिला सिन्धु पापन

रखे  
58 पं  
6000  
ज.क.  
सु.क.  
6887  
ज.क.

संयोजित



Date of Order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>पुनश्च:</p> <p>निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि</p> <p>..... 60254 ..... रुपये अदा की जिसकी पावती बुक</p> <p>क्र०..... 6887 ..... रसीद क्र०..... 58 ..... दी गई। अभियुक्त को सजा</p> <p>भुगताई गई।</p> <p>प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।</p> <p style="text-align: center;">(A.K. Gupta)</p> <p style="text-align: center;">Judicial Magistrate First Class</p> <p style="text-align: center;">Gohad distt. Bhind (M.P.)</p>	<p>रामजी तल्लिह</p>